

उत्तराखण्ड शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

03 जुलाई, 2025 ई०

संख्या-886/XXXI(15)G/25-04(2)/2010TC-राज्यपाल, युद्धाभ्यास और खुले क्षेत्र में गोला चलाने तथा तोप दागने का अभ्यास अधिनियम, 1938 (अधिनियम सं० 5 सन् 1938) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को ऐसा क्षेत्र परिनिश्चित करते हैं, जिसमें 01 जून, 2025 से प्रारम्भ होने वाले और 31 मई, 2030 को समाप्त होने वाली पांच वर्ष की अवधि के लिए नियतकाल पर खुले क्षेत्र में गोला चलाने और तोप दागने का अभ्यास किया जाना प्राधिकृत किया जा सकता है:-

अनुसूची

क्षेत्र का विवरण

जिला	तहसील का नाम	परगना	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (एकड़ में)
1	2	3	4	5

हरिद्वार

रूड़की

रूड़की

1-जलालपुर मुस्तहकम

2- जलालपुर अहतमाल

3-भंगेडीमहावतपुर मुस्तहकम

228.041 हेक्टेयर

4-भंगेडीमहावतपुर अहतमाल

5-टोडा कल्याणपुर मुस्तहकम

6-टोडा कल्याणपुर अहतमाल

7-कान्हापुर मुस्तहकम

8-कान्हापुर अहतमाल

9-अकबरपुर मुस्तहकम

टिप्पणी-उक्त भूमि का स्थल-नक्शा (साइट-प्लान) हरिद्वार, कलेक्टर के कार्यालय में हितबद्ध व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

आज्ञा से,
विनोद कुमार सुमन,
सचिव।

In pursuance of the clause (3) of article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 886/XXXI(15)/G/25-04(2)/2010TC Dated- July 03, 2025 for general information.

NOTIFICATION

July 03, 2025

No.886/XXXI(15)G/25-04(2)/2010TC--In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 9 of the Manoeuvres, Field Firing and Artillery Practice Act, 1938 (Central Act no. 5 of 1938), the Governor is pleased to define the area specified in the Schedule below as the area within which

(2)

for the period of five years commencing on the First day of June 2025 and ending with the Thirty First day of May, 2030 carrying out, periodically of field firing and artillery practice may be authorized:-

Schedule

Detail of Area

District	Name of Tehsil	Paragana	Name of Village	Area (in Acre)
1	2	3	4	5
Haridwar	Roorkee	Roorkee	1-Jalalpur Masthkam	
			2-Jalalpur Ahatmal	
			3-Bhangeri Mahavatpur Masthkam	228.041 Hectare
			4-Bhangeri Mahavatpur Ahatmal	
			5-Toda Kalyanpur Masthkam	
			6-Toda Kalyanpur Ahatmal	
			7- Kanhapur Masthkam	
			8-Kanhapur Ahatmal	
			9-Akbarpur Masthkam	

Note:- A site plan of the land may be inspected by the interested person in the office of the District Magistrate, Haridwar.

By Order,
VINOD KUMAR SUMAN,
Secretary.

टिप्पणी—राजपत्र, दिनांक 12-07-2025, भाग 1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 03 सा0प्रशा0/334-02-08-2025-20 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)